न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या-32/2015

1- प्रतापसिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत(मृत)

1/1- नन्दलालसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
1/2- महावीरसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह
1/3- राजवीरसिंह पुत्र स्व0 प्रतापसिंह

जाति राजपूत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर(राज0)

---अपीलान्टस---

---बनाम---

राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्ट---

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22-7-15 द्वारा अपर जिला कलेक्टर, सीकर एवं निर्णय दिनांक26-11-2007 द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ।

--0--

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति-

1-श्री प्रदीप जोशी एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री पेमाकरमल चौधरी राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक- 4.7.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का ने विद्वान तहसीलदार दांतारामगढ को यह रिपोर्ट की कि प्रतापसिंह पुत्र कायमसिंह जाति राजपूत निवासी पचार ने सम्वत 2064 में खसरा नं0 1793 रकबा 0.54 हैक्टर किस्म चारागाह में ~~ब~~ तारबन्दी करके कब्जा कर लिया। जिस पर तहसीलदार ने गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-91 का नोटिस जारी कर सुनवाई करते हुये उक्त आराजी पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित

कर बेदखल किये जाने तथा लगान का 50 गुणा अर्थदण्ड से दण्डित का आदेश पारित किया ।इस आदेश से क्षुब्ध होकर प्रथम अपील @ विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर के यहां पेश की जिस पर सुनवाई करते हुये अपीलान्ट की अपिल को खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कोई गौर न कर अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है । विवादित आराजी अपीलान्ट के कब्जा एवं जागीरदारी के समय से ही कब्जे में चली आ रही है । जागीर कमीश्नर द्वारा दिनांक01-10-1962 को आईटम नं0-6 में मर्दाना महल के बाहर नोहरा के पास कोठी में विवादित बाडा अपीलान्ट की जागीर में मान्य किया है। किन्तु अदालत मातहत ने इस महत्व पूर्ण बिन्दू पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । विवादित भूमि जागीरदार अपीलान्ट के निजी सम्पत्ति है तथा कदीमी कब्जे अधिकार में है ।उप खण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-3-2005 क्रमांक राजस्व 338/05 द्वारा अपीलान्ट को पटटा दिये जाने की ग्राम पंचायत को निर्देश जारी किये है ।जिस पर जिला कलेक्टर सीकर ने अपने आदेश क्रमांक 2439/मूल/राजस्व/05 के द्वारा उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ को आबादी विस्तार का प्रस्ताव भिजवाने की व्यवस्था का निर्णय दिया है । यह तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद थे किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।ग्राम पंचायत पंचार ने विवादित आराजी के बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 18-12-2004 को जारी कर यह कहा कि विवादित आराजी का नियमन अपीलान्ट व उसके पुत्र महावीर,सिंह, राजवीरसिंह के नाम कर दिया जावे तो कोई आपत्ति नहीं। किन्तु तहसीलदार नेराजनैतिक दबाव के कारण तमाम साक्ष्यों की अनदेखी कर अपना निर्णय पारित किया है । पटवारी हल्का के भी कोई बयान नहीं लिये विवादित आराजी के साबिक नम्बर 215 तथा हाल ख0नं0 1783 है जिसको

विद्वान अपर जिला कलेक्टर सीकर का आदेश आदेश की श्रेणी में ही नही है । जिला कलेक्टर सीकर द्वारा दिनांक 5-7-2008 को लिखे पत्र में उक्त तथाकथित आराजी को भी चारागाह से आबादी में किये जाने का वर्णन है इस तथ्य पर भी अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील को अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावलिया मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा लगातार रहा है और जागीरदार के समय से ही रहा है । इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा जागीरदार की हैसियत से भी रहा है । जागीर कमीश्नर द्वारा दिनांक 01-10-1962 को आईटम नम्बर-6 में मर्दाना महल के बाहर नोहरा के पास कोठी में विवादित बाड़ा अपीलान्ट की जागीर में मान्य किया है । अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।इतना ही नहीं ग्राम पंचायत ने इस आराजी का नियमन कर पटटा अपीलान्ट एवं उसके पुत्र महावीरसिंह, राजवीरसिंह को दिये जाने में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है । अर्थात इस आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त ग्राम पंचायत मान रही है। जिला कलेक्टर सीकर ने चारागाह भूमि को आबादी में परिवर्तीत करने के आदेश दिये है उसमें यह आराजी भी है किन्तु अदालत मातहत ने भी इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया और ना ही पटवारी हल्का के कोई बयान लिये हैं ।इस प्रकार अदालत मातहत ने सभी तथ्यों को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर हर दो अदालत मातहत के निर्णय निरस्त किये जावें तथा उक्त आराजी के नियमन की सिफारिश की जावे ।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक ठहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म चारागाह है और चारागाह भूमि पर अपीलान्ट का चाहे कितना ही पुराना कब्जा क्यों न हो इस आराजी का ना तो नियमन किया जा सकता और ना ही यह आंवटित की जा सकती है । यह आराजी राजस्थान काश्त-कारी अधिनियम-की धारा-16 में वर्जित आराजी है ।अदालत मातहत में सभी तथ्यो पर गौर कर आदेश पारित किया गया है ।अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है ।विवादित आराजी की किस्म चारागाह है । जिस पर अपीलान्ट का कब्जा नाजायज है । अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने अपने पत्रांक 338 दिनाक 28-3-2005 के द्वारा जिला कलेक्टर सीकर उक्त आराजी को आबादी में परिवर्तीत कर अपीलान्ट को पटटा जारी करने का प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही के लिये भिजवाया गया ।ग्राम पंचायत पचार ने दिनांक 18-12-2004 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर चारागाह भूमि ख0नं0 1793 रकबा 0.54 हैक्टर पर महावीरसिंह, राजवीरसिह पुत्र प्रतापसिंह शेखावत तथा रघनाथसिंह पुत्र चन्द्र सिंह शेखावत का कब्जा चला आ रहा है। यह आराजी इनके नाम आंवटित नियम किये जाने पर कोई आपत्ति नही की है ।विद्वान जिला कलेक्टर सीकर ने दिनांक 6-8-2001 को इस आराजी पर अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया गया ।अति0 जागीर कमीश्नर का विस्तृत निर्णय दिनांक01-10-1962 में आईटम नम्बर-6 में मदीना महल के पास बाहर नोहरे के पास कोठी दर्ज की है ।तहसीलदार दांतारामगढ ने उक्त आराजी को नियमन करने हेतु उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित की है ।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी की किस्म चारागाह रही है । यह आराजी कभी भी चारागाह के अलावा किसी दूसरी किस्म मे नही रही है ।चारागाह भूमि को राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम के पूर्व यह आराजी जागीरदार के कब्जा काश्त में रही है ।जो अतिरिक्त जागीर कमीश्नर राजस्थान जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक01-10-1962 में उक्त आराजी को आईटम नम्बर-6 को जागीरदार की घोषित की है ।तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ ने उक्त आराजी पंचायत द्वारा अनापत्ति करने पर जिला कलेक्टर को आराजी की किस्म परिवर्तन कर आराजी को आबादी की घोषित कर प्रार्थी के नाम पटटा जारी करने के लिये पत्रावली को भिजवाया गया है ।किन्तु विद्वान अतिरिक्त जिलाकलेक्टर सीकर ने अपने निर्णय मे इन तथ्यों पर कोई विवेचन न कर अपना निर्णय दिया है जो निर्णय की परिभाषा में ही नहीं है । इस कारण हम प्रकरण को विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते है कि वह प्रकरण में पक्षकारों को सुनते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 26-11-2007 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण विद्वान अति0 जिला कलेक्टर सीकर को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड किया जाता है ।पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 21-8-2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 4.7.2018 को सुनाया गया।

4/7/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर